**संख्या- 275 /2024/1982 /चार-2024**

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 जुलाई, 2024

विषय:-उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों / स्थलों पर फोटो गैलरी स्थापना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-654/प्रथम-01 (17) /2024 दिनांक 10 जुलाई, 2024 के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 333 /2023/ 7029/चार-2023 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 द्वारा उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग के दो संरक्षित स्मारकों / स्थलों - हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल, लखनऊ पर फोटो गैलरी की स्थापना हेतु रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) एवं संत कबीर दास की समाधि एवं मजार, मगहर, संत कबीर नगर पर फोटो गैलरी की स्थापना हेतु रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें से हुलासखेड़ा उत्खनन स्थल, लखनऊ पर फोटो गैलरी की स्थापना हेतु मात्र रू0 2.00 लाख का कार्य कराया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्थल हुलासखेड़ा लखनऊ पर अवशेष फोटोगैलरी की स्थापना के कार्य हेतु रू0 3.00 लाख तथा संत कबीर दास की समाधि एवं मजार, मगहर, संत कबीर नगर पर फोटो गैलरी की स्थापना हेतु रू0 5.00 लाख अर्थात् कुल रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें:-

(1) शासनादेश संख्या- 333 /2023/ 7029/चार-2023 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ का होगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2205- कला एवं संस्कृति - आयोजनेत्तर- 103- पुरातत्व विज्ञान- 03- पुरातत्व निदेशालय - 42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या- 275 /2024/ 1982 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।